

प्रेषक,

उप निदेशक कारखाना, उ०प्र०
लखनऊ संभाग, 23 ए०पी० सेन रोड,
लखनऊ ।

सेवा में,

आकूपायर
मेसर्स बजाज एनर्जी प्रा० लि०,
ईकाई-इटईमैदा, उत्तरौला,
जिला-बलरामपुर ।

संख्या 345 एफ/डीडीएफ/रेखांकन
2012

दिनांक : 10.5.2012

विषय कारखाना भवन के विस्तार के रेखांकनों का अनुमोदन एवं स्थायित्व के प्रमाण पत्र की स्वीकृति

महोदय,

आपके कारखाने के रेखांकन इत्यादि सहायक निदेशक कारखाना उ०प्र०, फैजाबाद के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 30.04.2012 को अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए हैं उनको कारखाना अधिनियम, 1948 एवं उसके अंतर्गत निर्मित उ०प्र० कारखाना नियमावली, 1950 के अनुसरण में अनुमोदित करके इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित किए जाते हैं ।

01-अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर एक माह के अंदर प्रेषित करें ।

साथ ही स्थायित्व का प्रमाण पत्र दिनांक-17-02-2012 जो इंजी० एस०बी०एस० कश्यप द्वारा हस्ताक्षरित है तथा वर्करूम कारखाना भवन के लिए है जैसा कि रेखांकन संख्या-बीईपी/मैप/एस/17/2011 एवं बीईपी/मैप/एस/172011-2012 दर्शित है, को निम्नांकित अश्वशक्ति के प्रयोगार्थ स्वीकार किया जाता है ।

8222.44 एच०पी०इलेक्ट्रिक

2 न०-डीजी सेट (250+250 केवीए)=500केवीए डी०जीसेट

2 न० टरबाइन (45+45एमडब्ल्यू)=90 एमडब्ल्यू टरबाइन

भवदीय,

(पी०के०चौबे)

प्रभारी उपनिदेशक कारखाना, उ०प्र०,
लखनऊ संभाग, लखनऊ

संलग्नक-

रेखांकन - एक सेट

फार्म न० 1- एक

प्रश्नोत्तरी-एक

फलोचार्ट-ए

संख्या एफ/डीडीएफ/रेखांकन

दिनांक : 2012

प्रेषित ।

प्रतिलिपि सहायक निदेशक कारखाना, उ०प्र०, फैजाबाद को अनुमोदित रेखांकनों के सेट सहित

(पी०के०चौबे)

प्रभारी उपनिदेशक कारखाना, उ०प्र०,
लखनऊ संभाग, लखनऊ